तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **दीदार खां बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 45 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2022	अपीलार्थी दीदार खां पुत्र चांद खां निवासी मु.पो. झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.01.2022 में ग्राम पंचायत झंवर तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा न. 1791–1803 पर किए गए अतिक्रमण को हटाने बाबत दिए गए प्रार्थना पत्र पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर [illegible] करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested